भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †2451

(दिनांक 18 दिसम्बर, 2023, सोमवार/27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिए जाने वाला उत्तर)

"जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय"

†2451. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के उस निर्णय को किस प्रकार देखती है जिसमें कहा गया है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केवल सिफारिश ही हैं;

(ख) क्या इसका अर्थ यह है कि अब से सरकार जीएसटी परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर जीएसटी दरों में परिवर्तन नहीं कर सकती है;

(ग) जीएसटी की कितनी सिफारिशों को अब तक कानूनी संशोधन किए बिना अथवा अधिसूचनाएं जारी किए बिना कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) इस संबंध में उक्त निर्णय का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) से (घ): अनुच्छेद 279क(4) में प्रावधान है कि जीएसटी परिषद अन्य बातों के साथ-साथ उन वस्तुओं और सेवाओं पर संघ और राज्यों को सिफारिशें करेगी जो वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में आ सकती हैं या जिन्हें इससे छूट दी जा सकती हैं। इसके अलावा, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 9 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी एकत्र की जाएगी।

जीएसटी दर में बदलाव के संबंध में जीएसटी परिषद की सभी सिफारिशें अधिसूचना के माध्यम से लागू की जाती हैं और संसद के समक्ष रखी जाती हैं। सरकार, जहां भी आवश्यक हो, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर जीएसटी दरों में बदलाव करना जारी रखेगी। मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय इस संबंध में सरकार की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है।

*****